

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी  
गणेशीकाई


मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

शोदती काई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 203/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/ श्रीमती <u>गणेशीकाई</u> पत्नी श्री <u>उत्तराम जी डांगी</u> पिता श्री <u>श्री</u></p> <p>निवासी- <u>6 भाया बौरा (13)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... <u>भाताजी की ओरडी (षण्. शरतिमानम)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>770, 805, 806, 807</u> <u>0-57, 0-07, 0-04, 0-06</u></p> <p>कुल कीता ..... <u>4</u> ..... कुल रकबा <u>0.6400</u> है 0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम ..... <u>भाताजी की ओरडी (षण्. शरतिमानम)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>770, 805, 806, 807</u> <u>0-57, 0-07, 0-04, 0-06</u></p> <p>कुल कीता ..... <u>4</u> ..... रकबा <u>0.6400</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>700=00</u> रुपये अक्षरे <u>जात ले कर</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>